बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–02–29/2006(स्वा0) ..... /पटना, दिनांकः–.....

डॉ० कृष्ण भूषण नाथ, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डुमरिया, गया के विरूद्ध स्व0 रामस्वरूप राम के निधन होने के उपरान्त उनके पत्नी श्रीमति झालो देवी का फर्जी अंगूठा/हस्ताक्षर का निशान दर्शाकर अनुमान्य सेवांत लाभ का निकासी कर गबन करने के आरोप में विभागीय संकल्प सं०–480(9) दिनांक–06.06.2007 एवं अनुवर्ती संकल्प द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में आरोपो को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

3. विभागीय पत्राक–325(9) दिनांक–06.05 2014 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की मॉग की गयी। डॉ० नाथ द्वारा समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर में अवगत कराया गया है कि स्व0 राम के छोटे बेटे को अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी नहीं मिलने के फलस्वरूप वाद दायर किया गया है। स्व0 राम के आश्रितों को पेशन भुगतान करने संबंधित पंजी में डॉ० नाथ सहित रोकडपाल एवं लिपिक का हस्ताक्षर अकित है।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 नाथ के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन एवं उनसे प्राप्त प्रत्युत्तर की सम्यक समीक्षा की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि CWJC No-16341/2001 से उद्भूद MJC No-1153/2002 में दिनांक–21.07.2006 को पारित आदेश में श्रीमती झालो देवी के सेवांत लाभ के रूप 2,54,824/– रु0 की निकासी कर गबन करने के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का निदेश दिया गया है। विषयगत मामलें मे श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन लिपिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डुमरिया, गया को दोषी चिह्नित करते हुए विभागीय आदेश सं०–270(4) दिनांक–10.02 2011 द्वारा दो वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित की गयी है।

5. डॉ० नाथ द्वारा वित्तीय कार्य में सजग नहीं रहने के कारण स्व0 रामस्वरूप राम के आश्रितो को 2,54,824/–रु0 का भुगतान नहीं हुआ। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के उपरान्त उत्तरवर्ती प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सेवांत लाभ का भुगतान किया गया। इसमें सरकारी राशि की हुई अपव्यता के लिए डॉ० नाथ स्पष्ट रूप से दोषी प्रतीत होते है। फलतः डॉ० नाथ के विरूद्ध अनियमित पेशन का भुगतान करने के प्रमाणित आरोप में सेवानिवृति की तिथि से 01 (एक) प्रतिशत पेशन की राशि 5 (पॉच) वर्षो तक कटौती करने का विनिश्चय किया गया।

6. विभागीय पत्राक–666(9) दिनांक–05.08.2024 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की मॉग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–3461 दिनांक–10.12.2024 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया है।

7. डॉ0 नाथ के विरूद्ध स्व0 रामस्वरूप राम के निधन होने के उपरान्त उनके पत्नी श्रीमति झालो देवी का फर्जी अंगूठा/हस्ताक्षर का निशान दर्शाकर अनुमान्य सेवांत लाभ का निकासी कर गबन करने के आरोप के लिए सेवानिवृति की तिथि से 01 (एक) प्रतिशत पेंशन की राशि 5 (पॉच) वर्षो तक कटौती करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–02–29/2006(स्वा0) 72(9) **/पटना, दिनांकः–** 17.1.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले० एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/01/2025

प्रतिलिपिः—क्षेत्रीय अपर—निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, मगध प्रमंडल, गया/सिविल सर्जन, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।।

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—डॉ० कृष्ण भूषण नाथ, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डुमरिया, गया सम्प्रति सेवानिवृत्त वर्तमान पता—पानी टंकी के नजदीक, खबडा रोड, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

17/01/2025

सरकार के अवर सचिव।